

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-अप्रैल, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 16 फरवरी, 2006 (माघ 27, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे -

- (i) क्रमांक 10-एफ-1-48-04-अठारह-3, दिनांक 20 अगस्त, 2004,
- (ii) क्रमांक 17-एफ-1-39-2005-अठारह-3, दिनांक 4 जुलाई, 2005,
- (iii) क्रमांक 21-एफ-1-66-2005-अठारह-3, दिनांक 12 जुलाई, 2005,
- (iv) क्रमांक 24-एफ-1-65-05-अठारह-3, दिनांक 14 जुलाई, 2005,
- (v) क्रमांक 25-एफ-1-37-05-अठारह-3, दिनांक 20 जुलाई, 2005;
- (vi) क्रमांक 48-2334-05-अठारह-3, दिनांक 15 दिसम्बर, 2005.

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मुरैना से सबलगढ़ जा रही निजी बस में विस्फोट के साथ आग लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के सिरोंजी सिंचाई तालाब का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
- (क) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,
 - (ख) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने,
 - (ग) राजगढ़-कालीपीठ एवं पिपलौदी मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
 - (घ) ग्राम किला अमरगढ़ में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने,
 - (ङ) राजगढ़ नगर में स्थित पुराने ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराये जाने, तथा
 - (च) ग्राम सिरोंजी में तालाब निर्माण का कार्य प्रारंभ कराये जाने,
- (2) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के -
- (क) मल्हारगढ़ नगर में महाविद्यालय खोले जाने,
 - (ख) मल्हारगढ़ नगर में लिंक कोर्ट स्थापित कराये जाने,
 - (ग) मल्हारगढ़ नगर स्थित बालक उ.मा. विद्यालय में वाणिज्य विषय प्रारंभ कराये जाने, तथा
 - (घ) मल्हारगढ़ नगर में कन्या हाई स्कूल का भवन बनाये जाने,
- (3) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिले के -
- (क) सनावद-खरगौन मार्ग पर पुल-पुलिया का निर्माण कराये जाने,
 - (ख) बड़वाह-धामनौद मार्ग को चौड़ा कराये जाने,
 - (ग) ग्राम काटकुट से ओखला तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने,
 - (घ) बड़वाह नगर में शा. बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने, तथा
 - (ङ) ग्राम जुलवान्या को राजस्व ग्राम घोषित कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, दिनांक 29 जुलाई, 2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 626) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री कैलाश चावला, सदस्य, द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा -

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

भोपाल :
दिनांक: 15 फरवरी, 2006

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.